भारत सरकार
प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-110054
Website: www.deptpub.gov.in/ egazette.nic.in
TEL.: 2381 7823 / 9689 Fax: 2381 7846.

सं. स्था./2017/बायोमेट्रिक हाजरी **दिनांक : 17-07-2017**

कार्यालय ज्ञापन

प्रकाशन विभाग के सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 17-07-17 को शहरी विकास मंत्रालय ने प्रकाशन विभाग मे कर्मचारियों की उपस्थिति कि स्थिति को गंभीरता से लिया है ओर इस संबध में हिदायत/अनुदेश जारी करने का निदेश हुआ हैं कि कोई भी कर्मचारी प्रकाशन विभाग में 9.30 से 6.00 बजे तक के कार्यालय समय के प्रति लापरवाही एवं देरी से आने-जाने का दोषी पाया गया तो उसके विरूद्ध सख्त अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी ।

अत: प्रकाशन विभाग के सभी अधिकारियों / कर्मचारियों से पुन अनुरोध किया जाता हैं कि पूरा स्टाफ समय पाबन्दी का विशेष ध्यान रखें और बायोमेट्रिक मशीन पर सुबह 9.30 बजे आने तथा सायं 6.00 बजे जाने की हाजिरी लगाये । अपनी उपस्थिति मे पाबंदी के प्रति स्वयं जिम्मेदारी निभायें । बायोमेट्रिक मशीन से निकलने वाली हाजरी शीट का प्रतिमाह परीक्षण किया जाएगा और DOPT के नियम अनुसार मूल्यांकन एवं कार्यवाही की जाएगी ।

सभी अधिकारियों /कर्मचारियों से यह भी अनुरोध किया जाता हैं कि छुटटी मंजूरीदाता की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी अपनी मर्जी से छुटटी पर न बैठें और अपनी मर्जी से बिना पूर्व अनुमति के छुटटी पर बैठने वाले कर्मचारियों के छुटटी के आवेदन को कोई भी अनुभाग अधिकारी अनुसंशित करके अग्रेषित न करें ।

कार्यालय अनुशासन के मामलें में किसी भी तरह की लापरवाही अथवा अनुशासन- हीनता को सख्ती से लिया जाएगा ।

(जी० डी० पाण्डेय)
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)

प्रति प्रेषित-

1. सभी अधिकारी एवं कर्मचारी ।
2. प्रका. नि. के वै. सहा
3. सहा. नि.(प्रशा.) के वै. सहा.
4. वित्तीय अधिकारी के वै. सहा
5 सहा. नि(वा) के वै. सहा
6. नोटिस बोड
7. गार्ड फाईल
6. ई- गजट अनुभाग में विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।